**प्रेस विज्ञप्ति**
**14/8/2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने बेस्ट फूड्स लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता को 8 अगस्त, 2025 को गिरफ्तार किया है। सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के बाद, उन्हें आगे की पूछताछ के लिए छह दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत में जाँच के बाद, न्यायालय ने 13 अगस्त, 2025 को उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, जहाँ वे 27 अगस्त, 2025 तक हिरासत में रहेंगे।

ईडी ने मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी ने देश में प्रीमियम बासमती चावल के सबसे बड़े प्रसंस्करणकर्ताओं में से एक मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड द्वारा बैंकों के संघ से लिए गए 1740 करोड़ रुपये के ऋण के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी जांच तेज कर दी है।

ईडी ने 15 से 17 जुलाई 2025 तक करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला स्थित पाँच परिसरों में पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, पीएमएलए, 2002 के तहत एजेंसी ने पाँच महंगे वाहनों की पहचान की और उन्हें ज़ब्त कर लिया, जिनके अपराध की आय होने का संदेह था।

मुख्य आरोपी, बेस्ट फूड्स लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता ने कानूनी और वित्तीय निगरानी को दरकिनार करते हुए अपने रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत 75 से अधिक फर्जी (शेल) संस्थाओं के माध्यम से कंपनी की संपत्तियों की खरीद कर परिसमापन के दौरान कंपनी की नीलामी प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर किया। अपनी जाँच के दौरान, ईडी ने 200 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया, जिसपर बैंक निधि को डाईवर्ट करके अर्जित किए जाने का संदेह है।

अवैध धन के स्रोत का पता लगाने और कथित धोखाधड़ी में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का ईडी का प्रयास जारी है।

आगे की जाँच जारी है।